न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

आदेश दिनांक 30.01.2020

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2019

नरसीराम दुलाराम कुलरिया पुत्र दुलाराम कुलरिया जाति सुथार निवासी सीलवा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

........प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा 2. पूनमचन्द दुलाराम कुलरिया पुत्र दुलाराम कुलरिया जाति सुथार निवासी सीलवा तहसील नोखा जिला बीकानेर 3. भंवरलाल डी कुलरिया पुत्र दुलाराम कुलरिया जाति सुथार निवासी सीलवा तहसील नोखा जिला बीकानेर

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से ।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

आदेश

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 3 की खातेदारी भूमि वाके रोही नोखा मण्डी में अन्य खसरा नम्बर के साथ खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 0.55, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.42 हैक्टेयर में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55,56,57 की पश्चिमी सीमा पर लम्बे समय से रास्ता चल रहा है। जिसका सार्वजनिक उपयोग हो रहा है, लेकिन दौरान–ए–सैटलमेन्ट, सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने सहबन से नक्शे में रास्ता को खसरा नम्बर 86 के रूप में प्रार्थी के खसरा नम्बर 55,56,57 के पूर्व में दर्शाया हुआ है। सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सहबन से अंकित किये गये रास्ते को प्रार्थी मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार नक्शे को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के खेत में चल रहे मौके पर चल रहे मार्ग के अनुसार नक्शा दुरूस्त करने की असुविधा नहीं होगी। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55,56,57 की पूर्व सीमा पर अंकित रास्ता को खसरा नम्बर खसरा नम्बर 55,56,57 की पश्चिमी सीमा पर लम्बे समय से चल रहे रास्ते की जगह अंकित कर तदनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

30.1.20
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

लगातार 2

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार नोखा से रिपोर्ट मंगवाई गई। आज पेशी दिनांक 30.01.2020 को तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55,56,57 की पूर्व दिशा में अंकित कटाणी रास्ता मौके पर बन्द है तथा खसरा नम्बर 55,56,57 की पश्चिमी दिशा की सींव के पास चालु है। इस लिये नक्शा दुरूस्त किया जाता है तो राज्य का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार नोखा की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । उसमें वर्णितानुसार हमारा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। बहस समाअत की गई।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखा को आदेश दिये जाते है कि वाके रोही नोखा मण्डी के खेत खसरा नम्बर 55,56,57 की पूर्व सीमा पर अंकित रास्ता को खसरा नम्बर खसरा नम्बर 55, 56, 57 की पश्चिमी सीमा पर राजस्व नक्शे में दुरूस्त करे। तहसीलदार नोखा को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

यह आदेश आज दिनांक **30.01.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

30/1/20

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 22:36:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: